भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3787 का उत्तर

महाराष्ट्र में रेल उपरि पुल/अंडरपास और मानवयुक्त/मानव रहित रेलवे समपार

3787. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में निर्माणाधीन/लंबित रेल उपरि पुलों/अंडरपासों और मानवयुक्त/मानव रहित रेलवे समपारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के संबंध में कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो परियोजनावार विलंब के कारण क्या हैं;

(घ) महाराष्ट्र में कितने उपरि पुल/अंडरपास स्वीकृत हुए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): महाराष्ट्र सहित भारतीय रेल के बड़ी लाइन के नेटवर्क की चालू लाइनों पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को 31.01.2019 तक समाप्त कर दिया गया है। 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में बड़ी लाइन के नेटवर्क पर कुल 650 चौकीदार वाले समपार हैं।

भारतीय रेल पर समपारों के स्थान पर उपरि/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों को स्वीकृत करना सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा, रेलगाड़ियों की गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-24 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित किए गए उपरि/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित किए गए उपरि/निचले सड़क पुलों की संख्या
2004-14	4,148 अदद
2014-24	11,945 अदद (लगभग तीन गुना)

वर्ष 2014-24 के दौरान महाराष्ट्र में कुल 929 अदद उपरि/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 92,692 करोड़ रुपए की लागत से 4200 अदद उपरि/निचले सड़क पुल स्वीकृत हैं। इसमें महाराष्ट्र राज्य में 5,315 करोड़ रुपए की लागत वाले 324 अदद उपरि/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

उपरि/निचले सड़क पुल कार्यों को पूरा और कमिशनिंग होना विभिन्न कारकों जैसे समपार को समाप्त करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकार का सहयोग, पहुंच मार्ग के संरेखण को निर्धारित करना, सामान्य प्रबंधन आरेख (जीएडी) को अनुमोदित करना, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक मंजूरी, परियोजना/कार्य स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष के दौरान कार्य के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/कार्यों को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं।

*****